आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice Department

Readers Allowance for Visually Impaired Advocates

केरल का सामाजिक न्याय विभाग राज्य की अदालतों में वकालत करने वाले दृष्टिबाधित अधिवक्ताओं को रीडर भत्ता देता है।

क्या मिल सकता है

दृष्टिबाधित अधिवक्ताओं को रीडर भत्ता मिलता है, यानी उस रीडर के लिए आर्थिक मदद जो उनके काम में सहायता करता है। रीडर कम से कम SSLC तक पढ़ा हुआ होना चाहिए।

किसके लिए है

केरल में रहने वाले और राज्य की अदालतों में वकालत करने वाले दृष्टिबाधित अधिवक्ता, जिनके परिवार की आय Rs 1,00,000 तक है।

मुख्य शर्तें

- आवेदक केरल का निवासी हो।
- आवेदक राज्य की अदालतों में वकालत करता हो।
- परिवार की वार्षिक आय Rs 1,00,000 से अधिक न हो।
- रीडर का काम करने वाला व्यक्ति कम से कम SSLC परीक्षा पास हो।

दस्तावेज़

- नेत्र रोग विशेषज्ञ का मेडिकल प्रमाणपत्र, जिसमें दृष्टिबाधा दिखाई गई हो
- आवेदक और रीडर के शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता प्रमाणपत्रों की प्रतियां, किसी सरकारी कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित
- स्थायी निवास या जन्म स्थान के ग्राम अधिकारी से मूल आय प्रमाणपत्र
- अदालत के पीठासीन अधिकारी का प्रमाणपत्र कि आवेदक अधिवक्ता के रूप में वकालत करता है और उसने रीडर रखा है

आवेदन कैसे करें

1. सामाजिक न्याय विभाग के सुनीति पोर्टल पर एक बार पंजीकरण करें और रीडर भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
2. दृष्टिबाधा साबित करने वाला नेत्र रोग विशेषज्ञ का मेडिकल प्रमाणपत्र लगाएं।
3. अपने और रीडर के सत्यापित शैक्षणिक व योग्यता प्रमाणपत्र तथा मूल आय प्रमाणपत्र लगाएं।
4. अदालत के पीठासीन अधिकारी का वह प्रमाणपत्र लगाएं जिसमें आपकी वकालत और रखे गए रीडर की पुष्टि हो।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/Certificate%20of%20the%20Blind.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/Citizen_Platform/suneethi/index.php
आधिकारिक PDF: https://suneethi.sjd.kerala.gov.in/smartoffice/suneethi_downloads/Certificate%20of%20the%20Blind.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/kerala/kl-readers-allowance-visually-impaired-advocates/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।